

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

क्र./एफ- /1/सा.प्र.वि./विविध/2024/279

भिलाई, दिनांक...10/7/24

//आदेश//

नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत निर्मित अधिकारी/कर्मचारी आवासगृह में निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारियों को निम्नांकित शर्तों पर कॉलम नं. 04 में दर्शित आवासगृह आबंटित किया जाता है :-

क्रं.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	आबंटित आवासगृह क्रमांक	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	श्री सुशील कुमार चौधरी	जोन आयुक्त	जी.एस.-06 (77 एम.एल.डी.)	-
2	श्री सुनील जोशी	राजस्व उप निरीक्षक	जी.एस.-03 (77 एम.एल.डी.)	-
3	श्री दुर्गा प्रसाद नायक	लेखापाल	जी.बी.-01 नेहरू नगर	-
4	श्री शशांक सिंह शेखर	सहायक राजस्व निरीक्षक	एफ.ए.-02 नेहरू नगर	-
5	श्री सागर दुबे	स्वच्छता पर्यवेक्षक	जी 03 नेहरू नगर	-
6	श्री तेजस्व गुप्ता	स्वच्छता पर्यवेक्षक	जी.ए. 04 नेहरू नगर	-
7	श्री उन्मेश साहू	अनुरेखक	जी.एस.-01 (77 एम.एल.डी.)	-
8	श्री राजकुमार सरागे	वाहन चालक	एच-02 नेहरू नगर	श्री नलनीश मिश्रा, समयपाल/कार्य सहायक ग्रेड-02 द्वारा रिक्त किये जाने की प्रत्याशा में।
9	श्री मनजीत सिंह	वाहन चालक	मदरटेरेसा नगर पानी टंकी	-
10	श्री भिलाल सिंह	पम्प सहायक	एच.सी.-10 मदरटेरेसा नगर	-


शर्तें :-

1. - आवासगृह में स्वयं के नाम से विद्युत मीटर लगाकर इसकी सूचना देना अनिवार्य होगा तथा विद्युत शुल्क स्वयं वहन करना होगा।
2. - नियमानुसार आवासगृह का किराया वेतन से वसूल किया जावेगा।
3. - नियमानुसार आवासगृह का जलकर वेतन से वसूल किया जावेगा।
4. - आबंटित आवासगृह में 15 दिनों के भीतर भौतिक अधिपत्य लेकर लिखित सूचना दिया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा आवासगृह का आबंटन स्वमेव निरस्त हो जावेगा और आवासगृह आबंटन के लिये प्राप्त शेष आवेदनों पर विचार कर आवासगृह आबंटित कर दिया जावेगा।

क्रमश.....

5. - यह आबंटन केवल आवासीय उपयोग के लिये ही है। आवास का वाणिज्यिक एवं व्यवसायिक उपयोग इसके अलावा अन्य को उपयोग हेतु किराये पर देना पूर्णतः प्रतिबंधित है, ऐसा पाया जाता है तो तत्काल आबंटन निरस्त कर वेदखली की कार्यवाही की जायेगी तथा आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर मूलभूत नियम 45 बी अनुसार आवास का बाजार दर की दुगुनी दर से दण्डिक किराया वसूल किया जावेगा।
6. - आवास को आवासीय उपयोग में नहीं लेकर ताला लगाकर रिक्त रखने पर आबंटन आदेश निरस्त कर निष्कासन किया जावेगा।
7. - आवासगृह तथा उसमें लगे विद्युत उपकरण एवं अन्य समान को आवासगृह रिक्त करते समय यथास्थिति वापस सौंपना होगा। तोड़-फोड़ तथा क्षति पहुंचाने की स्थिति में उस पर होने वाले व्यय की राशि आबंटिती से वसूल किया जावेगा।
8. - आबंटिती के स्थानांतरण, सेवामुक्त, पदच्युत होने प्रतिनियुक्ति पर जाने तथा 120 दिन से अधिक अवकाश पर रहने की स्थिति में 07 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचना देना अनिवार्य होगा तथा आबंटिती आवास धारण अनुमति लिये बिना आवासगृह को अधिपत्य में नहीं रख सकेंगे तथा अनाधिकृत रूप से अधिपत्य पर बिना विपरीत प्रभाव डाले इस अवधि के लिये बाजार दर से दुगुनी दर से किराया वसूल किया जावेगा।
9. - आबंटिती द्वारा आवासगृह से लगी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने, जानवर पालने, पड़ोसियों की सुख सुविधा में व्यवधान पैदा करने, किराया बकाया रखने या आवास अन्य व्यक्ति को किराये पर देने या स्वयं न रहने पर किसी भी समय आबंटन आदेश निरस्त कर दिया जावेगा तथा आबंटिती के विरुद्ध अनाधिकृत रूप से अधिपत्य की अवधि का मकान किराया मूलभूत नियम 45 बी के तहत वसूल किया जावेगा।
10. - इस आदेश के द्वारा आबंटिती द्वारा आवासगृह का अधिपत्य लेने पर पूर्व में आबंटिती को नगर पालिक निगम, भिलाई के अन्य आवासगृह या निगम द्वारा आवेदन अग्रेषित करने या अनुशंसा करने पर अन्य संस्था का आवासगृह आबंटित हो तो तीन दिन के अवधि में रिक्त कर अधिपत्य सौंपना अनिवार्य होगा। अन्यथा दोनों आवासगृहों पर अधिपत्य होने के कारण आबंटन आदेश निरस्त करते हुए आबंटिती के विरुद्ध निष्कासन की कार्यवाही की जावेगी तथा दोनों आवासगृहों में से उच्च श्रेणी के आवासगृह का किराया उस क्षेत्र में प्रचलित बाजार भाव जो भी अधिक हो के अनुसार वसूल किया जावेगा।
11. - आबंटिती का स्वयं अथवा परिवार के सदस्य पत्नि, पुत्र, पुत्री, माता अथवा पिता के नाम नगर पालिक निगम क्षेत्र के अंदर निजी मकान, शासन (नजूल विभाग) द्वारा प्राप्त आवासीय पट्टा, आवासीय योजना के तहत आबंटित आवास होगा या क्रय किया जाता है तो आबंटित आवासगृह 07 दिन के अन्दर रिक्त कर उसकी लिखित सूचना दिया जाना होगा अन्यथा आवासगृह आबंटन स्वमेव निरस्त माना जावेगा और नियम अनुसार दण्डिक किराया वसूल किया जावेगा।
12. - आबंटिती के परिवार के सदस्य पत्नि, पुत्र, पुत्री, माता अथवा पिता को कोई शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं या नगर पालिक निगम, भिलाई में आवासगृह आबंटित है अथवा भविष्य में आबंटित हो जाये तो आबंटित आवासगृह 07 दिन के अन्दर रिक्त कर इसकी लिखित सूचना दिया जाना होगा अन्यथा आवासगृह आबंटन स्वमेव निरस्त माना जावेगा और नियम अनुसार दण्डिक किराया वसूल किया जावेगा।

13. — यदि आवासगृह का सामान्य/दाण्डिक किराया तथा विद्युत शुल्क/जलकर आदि बकाया रहेगा और उसे स्वयं जमा नहीं किया जाता है तो वेतन अथवा देय स्वत्वों अथवा राजस्व के बकाया के रूप से राशि वसूलनीय होगा।
14. — प्रशासनिक कारणों से यह आबंटन आदेश किसी भी समय बिना कारण बताए निरस्त किया जावेगा तथा आबंटन आदेश निरस्त किये जाने पर सात दिवस के अन्दर आवासगृह रिक्त करना होगा।
15. — आवासगृह आबंटन/धारण करने एवं किराया के संबंध में समय-समय पर शासन द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों के अनुसार विनियमित होगा।


आयुक्त
नगर/पालिक निगम
मिलाई
मिलाई,दिनांक 10/7/24

पृ.क्र./एफ-309/1/सा.प्र.वि./विविध/2024/280
प्रतिलिपि :-

1. महापौर/अध्यक्ष, नगर पालिक निगम, मिलाई को सूचनार्थ।
2. अपर आयुक्त, नगर पालिक निगम, मिलाई को सूचनार्थ।
3. अधीक्षण अभियंता 1/2/3/4/5, नगर पालिक निगम, मिलाई को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त, नगर पालिक निगम, मिलाई को सूचनार्थ।
5. जोन आयुक्त जोन क्रमांक 1 एवं 3 नगर पालिक निगम, मिलाई को सूचनार्थ।
6. लेखाधिकारी/जनसंपर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम, मिलाई को सूचनार्थ।
7. अधीक्षक, सामान्य प्रशासन विभाग, नगर पालिक निगम, मिलाई को सूचनार्थ।
8. प्रभारी स्थापना लिपिक, नगर पालिक निगम, मिलाई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. प्रभारी लिपिक डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम, मिलाई को सूचनार्थ एवं निगम की वेबसाइट में अपलोड हेतु।
10. अध्यक्ष, छ.ग. स्वायत्तशासी कर्मचारी महासंघ, नगर पालिक निगम मिलाई को सूचनार्थ।
11. अध्यक्ष, छ.ग. कर्मचारी कांग्रेस प्रकोष्ठ, नगर पालिक निगम मिलाई को सूचनार्थ।
12. सर्व संबंधित श्री.....नगर पालिक निगम मिलाई को सूचनार्थ।


आयुक्त
नगर/पालिक निगम
मिलाई